

पञ्जाब

गोपाल

तारीख
हुक्म

क्र. 10/2018
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहमदाबाद
तामिलनाडु

09/09/25

पञ्जावली पेश हुई। वकील यादी
पतिनादी उपस्थित/अनु. पीठासीन
पञ्जावली राज कार्य से मीटिंग,
मुख्यालय से बाहर है;
पञ्जावली पूर्ववत् दि. 10/9/25
को पेश हो।

10/25

पञ्जावली पेश हुई। वकील यादी
वकील वकील द्वारा व्यापक के अंतिम
अवसर पर अवसर व्यापक के
अंतिम अवसर पर किया जा रहा है
किसल वास्ते बंदक हेतु दिनांक
19/10/28 को पेश है।

19/10/25

पञ्जावली पेश हुई। वकील यादी उप
किसल वास्ते बंदक हेतु दिनांक
07/11/2025 को पेश है।

07/11/25

पञ्जावली पेश हुई। वकील यादी
उप उप पञ्जावली-1 द्वारा प्रकृत
के बंदक हेतु एक मात्र
अवसर के अंतः वास्ते बंदक हेतु
पञ्जावली दिनांक 14/11/25 को
पेश है।

14/11/2025

पञ्जावली पेश हुई। उपपक्ष अधि
उपस्थित। अधिवक्ता पतिनादी 2
द्वारा 120 Limitation Act का एवलेट
के हुए कथन किया कि अधिवक्ता
अधिवक्ता के वादी के 1 प्रकृत प्रकृत
को रिकॉर्ड पर ही लिफ्ट 01 को 1 प्रकृत
वापस प्रकृत द्वारा 5 Limitation

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम की
तामील में जारी हुए

Act के तहत Delay condon
करण के लिए प्री. प्र. निश्चित
बाबत में पेश नहीं किया जातः
विषय के आरापत्र प्रावधानों के
पालन नहीं होने के कारण दावा
अबेट हो जाया है। बाकी अधिकार
में बहुत ही उच्च किया कि बाकी
मूल्क की सूचना मिलने पर - मापाल
को सूचित कर अपन प्रमाण को
प्री. प्र. निश्चित साथ में पेश किया
जाता है। स्वीकार की अपन
प्रमाण को रिफाँड पर लिये
जाने हेतु अनुमान प्रदान करें।
उत्तरपक्ष बहुत ही कम किया गया
प्रावली के दस्तावेजों के अवलोकन
किया गया। मूल्क प्रमाण पर से
२२.०५.२०१९ को खन्ना लाल (वकील)
की मूल्क होना स्पष्ट है। नई बाकी
अधिकार न ०५.०९.२०१९ को अपन
प्रमाण के लिए प्री. प्र. ०२२२३ CPC
पेश किया जो कि पहले ही
अर्थात् बाधित को १२.१२.२०१९ उपरान्त
२६.११.२०१९ को चारा-९ Limitation
Act की प्री. प्र. Delay condon
के लिए लगाई गई। अधिकार के
प्रमाण के उपरान्त भी विषय के
आरापत्र प्रावधानों की अनुपालन

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं
अहका
तापी

नहीं ही जहाँ जो यह प्राप्ति
अनुपालन व समाप्ति - प्राय विवरण
इ सिद्धांत के भी विपरीत है। वहाँ
साथ ही वही अधिकतम द्वारा
होले, पर्याप्त व यहाँ प्रजनन
भी प्रकृत नहीं दिखा गया। लिखित
कार्य व CPC के प्रावधानों की अनुपालना
अत्यंत आवश्यक है। समय बाधित
वाह को बिना किसी होल आधार के
जारी नहीं रखा जा सकता है। उक्त
आधारों पर दावा अखिल को इसी
स्वरूप या खारिज किया जाता है।
प्रावर्त केवल सुधार होकर नहीं
सुधे ही हो तथा दाखिल दफ्त
है। फलला से वजलान में
सुनाया गया।



उपज... अधिकारी
इलाका